

ANNEXURE - I J

उपस्थित उपजिलाधिकारी शाहगंज जौनपुर

बाद लु 31 धारा 143 का अधिनियम  
 भोजा भरोड़ा परगना अंगुली तहसील शाहगंज जौनपुर  
 तत्काल स्मारक सेवा समिति बनाम - सरकार

आदेश

प्रस्तुत बाद प्रबंधक तत्काल स्मारक सेवा समिति कन्हैयालाल पुत्र तिलकधारी  
 मालव हात मुठ मल्हनी बाजार जौनपुरने प्रस्तुत कर कहा है कि जा 0 नं 10।ख/  
 0-995 ए स्थित भोजा भरोड़ा परगना अंगुली तहसील शाहगंज जौनपुर की  
 रजिस्ट्री पालिटिकल विद्यालय तिलक स्मारक समिति मल्हनी के नाम करालिया  
 है जिसे धारा 143 अ अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक कामशिल घोषित  
 किया जाना आवश्यक है। अकृषिक कामशिल घोषित किया जाय।

उक्त पर तहसील से आख्या भगाई गयी। तहसील से नियम 135 धारा  
 143 का अधिनियम के अन्तर्गत आख्या प्राप्त हुई जो संलग्न प्रतावली है।

भेजे प्रतावली पर उपस्थित सभ्यो एवं तहसीलदार की आख्या दिनांक  
 26-3-09 का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जा 0 नं 10।ख/-995  
 ए स्थित भोजा भरोड़ा तिलक स्मारक सेवा समिति ग्राम मल्हनी प्रबंधक  
 कन्हैयालाल पुत्र तिलकधारी निवससी बरबसपुर जौनपुर के नाम जोक्त है। जिसमे  
 0-746 ए अकृषिक / आवादी होने की आख्या प्राप्त हुई है। जो अकृषिक/  
 आवादी घोषित किये जाने योग्य है।

अतः उक्त के आलोक में जा 0 नं 10।ख/0-995 में से 0-746 ए की  
 अकृषिक आवादी घोषित किया जाता है। आदेश को एक प्रति उपानयक  
 शाहगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही  
 प्रतावली दाखल हो।



*[Signature]*  
 उप जिलाधिकारी  
 शाहगंज जौनपुर

189 / 12-10-10  
 कर्मचारी का नाम और पद -  
 कुल पद - 14/20  
 रिजर्वी नं - 13/10/10  
 पदों का नाम - 13/10/10  
 इतिहास -  
 प्रमुख पद -  
 प्रमुख पद -

*[Signature]*  
 Principal  
 Kanhaiya College of Pharmacy  
 Malhani Bazar, Jaunpur